कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35-ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल - 462011)

क्रमांक 948 / संपदा/2025 भोपाल दिनांक 29/3/25

प्रति,

वरिष्ठ जिला पंजीयक / जिला पंजीयक
वरिष्ठ उप पंजीयक / उप पंजीयक
समस्त जिले, मध्यप्रदेश।

विषय: संपदा-1.0 का संचालन बंद करने विषयक।

--

उपरोक्त विषयातंर्गत लेख है कि ई पंजीयन एवं ई स्टेम्पिंग प्रणाली संपदा के उन्नयित संस्करण संपदा-2 का संचालन अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक 4 जिलों में प्रायोगिक तौर प्रारंभ किया गया था जिसे 10 अक्टूबर 2024 से संपूर्ण राज्य में विस्तारित किया जा चुका है। उन्नयित संस्करण के माध्यम से माह फरवरी 2025 तक कुल 2,19,878 दस्तावेजों का पंजीयन एवं 1,10,524 ई-स्टेम्प जारी भी किए जा चुके हैं। वर्तमान में पायलेट जिलों के मुख्यालय उप पंजीयकों में केवल संपदा 2 का संचालन किया जा रहा है जिसे विस्तारित करते हुए प्रदेश के सभी उप पंजीयक कार्यालयों के लिए लागू करते हुए संपदा-1 का संचालन बंद किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं -

1. दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश में केवल संपदा-2 प्रणाली के माध्यम से ही ई पंजीकरण एवं ई स्टाम्पिंग की जा सकेगी। संपदा प्रणाली के पूर्व संस्करण 1.0 का संचालन नवीन दस्तावेज पंजीयन एवं ई स्टाम्प जारी करने के लिए बंद कर दिया जावेगा।

2. संपदा-1 में सेवा प्रदाताओं को कोई भी नवीन लायसेंस जारी नही किए जावें।

3. चूँकि संपदा-1 में सेवा प्रदाताओं द्वारा ली गयी कोई भी क्रेडिट लिमिट संपदा-2 में अंतरित नही होगी अतएव समस्त सेवा प्रदाता संपदा-1 में ली गयी क्रेडिट लिमिट को 31 मार्च 2025 तक उपयोग कर लेवें।

4. सेवा प्रदाता सुनिश्चित करें कि कोई भी दस्तावेज 31 मार्च 2025 के बाद पंजीयन के लिए तैयार न किए जावें और न ही ऐसे किसी दस्तावेज के कोई शुल्क (स्टाम्प/पंजीयन/अन्य शुल्क) संपदा-1.0 प्रणाली के माध्यम से जमा करें क्योंकि इस तिथि के बाद यह प्रणाली निष्क्रिय हो जावेगी।

5. कोई दस्तावेज संपदा-1.0 में तैयार किया जाकर यदि निर्धारित तिथि 31 मार्च 2025 तक पंजीकृत नही कराये जाते हैं तो ऐसे दस्तावेजों का पंजीयन संपदा-1.0 संस्करण के माध्यम से 1 अप्रैल 2025 के बाद संपन्न नही हो पायेगा साथ ही उक्त दस्तावेज संपदा 2.0 में हस्तांतरित नहीं हो सकते ।

6. संपदा-1.0 से संबंधित पूर्व की समस्त सपोर्ट टिकिट का निराकरण 31 मार्च 2025 के पूर्व कर लिया जावे।

7. सेवा प्रदाताओं के लिए नवीन क्रेडिट लिमिट लेने की सुविधा दिनांक 30 मार्च 2025 को बंद कर दी जावेगी। इसलिए यदि कोई दस्तावेज 31 मार्च 2025 को पंजीकृत किया जाना प्रस्तावित है तो ऐसे दस्तावेजों का शुल्क पूर्व से जमा कर दिया जावे या आनलाइन सुविधा का उपयोग किया जावे।

8. समस्त जिला अधिकारी सुनिश्चित करेगें कि संपदा-1.0 बंद होने की सूचना स्थानीय अखबारों एवं अन्य समाचार माध्यमों के माध्यम से जन सामान्य तक 1 सप्ताह पूर्व से ही पंहुच जावे।

9. संपदा 1.0 से पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों की हार्ड कापी प्रदाय करने के पूर्व समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक / उप पंजीयक सुनिश्चत करेगें कि दस्तावेज में फोटो, हस्ताक्षर, अंगुष्ठ चिन्ह, नकशा आदि सही ढंग से प्रिंट हो चुके हैं। कोई भी विसंगति पूर्ण दस्तावेज का प्रदाय नही किया जावे।

10. अंतिम दिवसों में पंजीकृत दस्तावेजों का प्रिंट उसी दिन अनिवार्य किया जाकर पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाये ।

11. अंतिम तिथियों में पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों से संबंधित सपोर्ट टिकिट प्राथमिकता से निपटान की व्यवस्था की गयी है। सभी संबंधित पक्ष दस्तावेज में कोई भी विसंगति होने पर तत्काल टिकिट बनावें।

12. ई-स्टाम्प रिफंड के लिये आवेदन 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर रिफंड request नंबर के आधार पर नियमानुसार आवेदन कोष को प्रेषित कर देंवे ।

13. समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक एवं पंजीयक से संपदा 1.0 में प्रस्तुत दस्तावेजों के पंजीयन या विधिक रूप से उस पर कार्यवाही कर दिये संबंधी प्रतिवेदन प्रापत करें ।

14. समस्त जिला पंजीयक संपदा एप्लीकेशन द्वारा प्रेषित अपंजीकृत दस्तावेजों जिन्हें उप पंजीयकों द्वारा इम्पांउड किया गया है, का तत्काल निराकरण करें ।

15. गाइडलाइन पालीगान से संबंधित किसी भी विसंगति को प्राथमिकता से दूर कराया जावे। इस हेतु आवश्यक होने पर एमपीएसईडीसी की जीआइएस टीम की सहायता ली जा सकती है।

16. उक्त दिशा निर्देशों को उप पंजीयक कार्यालय एवं जिला पंजीयक कार्यालयों के प्रतीक्षा कक्ष / पंजीकरण कक्ष / नोटिस बोर्ड में चस्पा कर इस संबंध में जागरूकता लायी जावे।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/949 / संपदा/2025 भोपाल दिनांक 29/3/25

प्रतिलिपि-

1. अतिरिक्त प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कलेक्टर, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।
5. उप महानिरीक्षक पंजीयन समस्त जोन एवं मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. Conyenor SLBC/All Banks & NBFC की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त सेवाप्रदाताओं की ओर पालनार्थ ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश